

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश संख्या- 12/2025

रेलवे बोर्ड के RBE No. 101/2009 दि.10.06.2009 एवं RBE No.155/2016 दिनांक 19.12.2016 के अनुपालन में एमएसीपी योजना के तहत सुयोग्यता जोच में सफल एवं DAR/SPE/Vig. मामलों से मुक्त होने के उपरांत यांत्रिक विभाग/पूरमे/हाजीपुर के निम्नलिखित कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से वित्तीय उन्नयन का लाभ उनके नाम के सामने दर्शाये गये तिथि से प्रदान किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम, (सर्वश्री)	पदनाम	कार्यस्थल	प्रदत्त वित्तीय उन्नयन लाभ से पूर्व ग्रेड पे० / (लेवल)	वित्तीय उन्नयन की प्रभावी तिथि एवं ग्रेड पे० / लेवल
1.	देवव्रत	SSE/C&W	HQ/HJP	GP- 4600 (in Level-7)	01.11.2023 से ग्रेड पे 4800/-(In Level-8) 2nd MACP
2.	अरविन्द कुमार	OS	HQ/HJP	GP- 4200 (in Level-6)	01.04.2024 से ग्रेड पे 4600/-(In Level-7) 3rd MACP

उपरोक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप कर्मचारी को वरीयता आदि का कोई अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा तथा अपनी अगली पदोन्नति वे मूल वरीयता के अनुसार पायेंगे, कर्मचारी का पदनाम भी यथावत रहेगा। यदि कर्मचारी चाहें तो RBE No.79/2017 दिनांक: 31.07.2017 के अनुसार नियम 1313-आर II के तहत वित्तीय उन्नयन पर वेतन निर्धारण हेतु एक(01) माह के अंदर विकल्प दे सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त विकल्प पर विचार नहीं किया जायेगा एवं एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

(दिलीप कुमार)
सकाधि(एमएण्डई)
कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)
दिनांक- 01.2025

Signature
Dilip Kumar
Date: 08.01.2025
Computer No. 33414

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगम्य हेतु प्रेषित :-

1. महाप्रबंधक(यांत्रिक)/पूरमे/हाजीपुर
2. प्रविस/पूरमे/हाजीपुर।
3. सकाधि(बिल)/पूरमे/हाजीपुर।
4. सकाधि(एमपीपी)/पूरमे/हाजीपुर, के साइट पर अपलोड कराने हेतु।
5. संबंधित कर्मचारी।